



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप, उज्जैन

प्रकरण क्रं. /2014 निगरानी. R- 1037- J 14

144

1. माखनसिंह पिता घुडुसिंह, आयु-55 वर्ष, व्यवसाय-खेती, जाति-खाती, निवासी-ग्राम कलमा तहसील टोंकखुर्द जिला देवास म.प्र.
2. संतोष पिता माखनसिंह, आयु-35 वर्ष, व्यवसाय-खेती, जाति-खाती, निवासी-ग्राम कलमा तहसील टोंकखुर्द जिला देवास म.प्र.

.....प्राथीगण/निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. मूलचंद पिता शोभाराम, आयु-85वर्ष, धंधा-खेती, जाति-खाती, निवासी-ग्राम कलमा तहसील टोंकखुर्द जिला देवास म.प्र.
2. मोहनसिंह पिता मूलचंद, आयु-42वर्ष, धंधा-खेती, निवासी-ग्राम कलमा तहसील टोंकखुर्द जिला देवास म.प्र.प्रतिप्राथीगण

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

प्राथीगण/निगरानीकर्ता की और से माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील टप्पा चिड़ावद तहसील टोंकखुर्द जिला देवास म.प्र. के प्रकरण क्रं. 1-अ-13/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 25/02/2014 से असंतुष्ट होकर प्रतिप्राथीगण के विरुद्ध निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है:-


[Handwritten signature]


R 1037-2 / 14 देकात

24.11.2017

DD

आवेदनकर्ता की ओर से
सूचना उपरोक्त कोई भी उपाख्यत
जहाँ। तीन बार पुकार-छगवाई गई,
फिर भी कोई उपाख्यत नहीं। अतः
प्रकरण अदम्य पेटवी में निरस्त
किया जात है।




अध्यक्ष

[क. प. उ.]